

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री राजेश
किस्म मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- श्री रतन लाल
पत्रावली संख्या : 133/22
GCMS: 2022/232

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

दिनांक : 08.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1, 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षीगण संख्या 1, 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति जाहिर की। प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। विपक्षी संख्या 3 द्वारा भी उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति जाहिर की। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

-: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की खाता नम्बर 358 नये, 341 पुराने की आराजी नम्बर 2 किता 1 रकबा 0.5400 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।



(रमेश सीरवी पुनाडिया BAS)
(SDO) भीण्डर

